न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
वाद संख्या :– 47/2014 , (2014/00274)

1. गीता देवी (मृत्तक दौराने प्रकरण)
1/1 कमल शर्मा पुत्र श्री डूंगरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 6/378 विधाधर नगर जयपुर।
1/2 प्रकाश शर्मा पुत्र श्री डूंगरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 6/378 विधाधर नगर जयपुर।

— — — प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर
2. भोमाराम पुत्र नाथ्या गुर्जर
3. मंगलचन्द पुत्र नाथ्या गुर्जर
4. झूंथाराम पुत्र नाथ्या गुर्जर
5. भगवान सहाय पुत्र नाथ्या गुर्जर
6. लक्ष्मण राम पुत्र नाथ्या गुर्जर
7. बिरदाराम पुत्र भगवान सहाय गुर्जर,
8. जवाना राम पुत्र भगवान सहाय गुर्जर
9. रघुनाथ पुत्र भगवान सहाय गुर्जर
10. बंशी पुत्र बिरदा गुर्जर
11. सुजा पुत्र बिरदा गुर्जर
12. भागीरथ पुत्र बिरदा गुर्जर
13. भूरा पुत्र नाथू गुर्जर
14. रेवड पुत्र नाथू गुर्जर
15. गोपीराम पुत्र मेंवाराम गुर्जर
    समस्त जाति गुर्जर, निवासीग्राम खैरवाडी, तहसील आमेर जिला जयपुर।
16. बुद्विप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति जोगी, निवासी मकान नम्बर 34, अशोक नगर निवारू रोड झोटवाडा जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128
भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :–21.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खैरवाडी के ख0नं0 234, 236/457, 237 व 238 एवं ग्राम दौलतपुरा के ख0नं0 1345 पर माननीय तहसीलदार साहब के आदेश पर पटवारी दौलतपुरा द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान दिनांक 14.6.2014 को करवाया गया। उपरोक्त ख0नं0 ग्राम खैरवाडी में नं0 234, 236/457, 237 व 238 एवं ग्राम दौलतपुरा के ख0नं0 1345 पर पक्षकारों द्वारा पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर विवादित भूमि हेतु प्रार्थी ने सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की पत्थरगढी किये जाने हेतु अकेले खातेदार ने प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि सहखातेदारी में दर्ज होने के फलस्वरूप तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 08.09.2015 को किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

उक्त आदेश की माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गयी। जो निगरानी अधीन 84 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थीगण ने पेश की। जो निगरानी सं0 जयपुर टी.ए. 7848/2015 उनवान कमल शर्मा वगै. बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर दर्ज की जाकर दिनांक 15.12.2015 को निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 08.09.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया की प्रार्थीगण के आराजी ख0नं0 234, 236/457, 237, 238 एवं ग्राम दौलतपुरा के ख0नं0 1345 की पत्थरगढी नियमों के परिप्रेक्ष्य में करवावे और यदि आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद ली जा सकती है तथा प्रार्थीगण ने माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। जो अपील सं0 252/17 उनवान कमल शर्मा वगै. बनाम सरकार जरिये तहसीलदार आमेर दर्ज की जाकर दिनांक 08.05.2019 को निर्णय पारित कर न्यायालय हाजा के निर्णय

दिनांक 08.09.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया की उभयपक्षों को साक्ष्य सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः उक्त आदेशों की पालना में पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 25.07.2019 को पुनः पक्षकारों की सुनवायी में प्रारम्भ की गयी। अप्रार्थीगण के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 7 व 9 लगायत 16 का नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुये है। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय हाजा द्वारा पुनः अप्रार्थीगणों के विरूद्ध रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.9.19 को जारी किये गये। जो 01 माह की अवधि समाप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 17.10.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस दिनांक 01.11.2019 को सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया एवं रिपोर्ट तहसीलदार के मुताबिक विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 14.06.2014 को किया गया है तथा पत्थरगढी की कार्यवाही के दौरान शान्ति भंग होने की संभावना अवगत कराते हुए पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खैरवाडी के ख0नं0 234, 236/457, 237 व 238 एवं ग्राम दौलतपुरा के ख0नं0 1345 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायसंगत मानते है। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि ग्राम खैरवाडी के ख0नं0 234, 236/457, 237 व 238 एवं ग्राम दौलतपुरा के ख0नं0 1345 की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये उभयपक्षकारों की मौजूदगी में सम्पादित करावें एवं मौके पर शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। आदेश सुनाया गया।

आज **दिनांक 21.11.2019** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.24 11:29:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: